

(To be published in the Delhi Gazette Part-IV – Extraordinary)
Government of National Capital Territory of Delhi
Finance (Taxes & Establishment) Department
Delhi Secretariat, I.P. Extension, New Delhi-
PHONE: 23392135

F. No.10(16)/Fin(T&E)/2009-10/

Dated:

NOTIFICATION

F. No.10(16)/Fin(T&E)/2009-10/ In exercise of the powers conferred by section 7 (1) of the Delhi Entertainments and Betting Tax Act, 1996 (Delhi Act No.8 of 1997) as amended by the Delhi Entertainments and Betting Tax (Amendment) Act, 2009 (Delhi Act 2 of 2010), the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby specifies, with immediate effect, the following rates of entertainment tax, namely:-

- (a) On all payments for admission to the entertainment of direct-to-home (DTH) services at the rate of Rs.20/- per connection per subscriber per month.
- (b) On all payments for admission to the entertainment of direct-to-home (DTH) services in hotels at the rate of Rs.50/- per room per month.

By order and in the name of the
Lieutenant Governor of the National
Capital Territory of Delh,

(AJAY KUMAR GARG)
JOINT SECRETARY (FINANCE/PLANNING)

F. No.10(16)/Fin(T&E)/2009-10/ JSPM/63

Dated: 01.02.2010

Copy forwarded to:-

1. The Secretary, GAD, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, I.P. Estate, New Delhi with one spare copy for its publication in Delhi Gazette, Part-IV (Extraordinary) in today's date.
2. The Commissioner of Entertainment Tax, Vikas Bhawan, New Delhi.
3. The Secretary to Finance Minister, Delhi Sachivalaya, I.P. Estate, New Delhi.
4. The Joint Secretary (L&J), Govt. of NCT of Delhi.
5. Guard file.
6. Website.

(AJAY KUMAR GARG)
JOINT SECRETARY (FINANCE/PLANNING)

(दिल्ली राजपत्र भाग- IV -असाधारण में प्रकाशित किया जाये)
राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
वित्त (कर एवं स्थापना) विभाग
दिल्ली सचिवालय, आई.पी.एक्सटेंशन, नयी दिल्ली

एफ. नं. 10(16)/फिन. (टी एंड ई)/2009-10/

दिनांक :

अधिसूचना

एफ. नं. 10(16)/फिन. (टी एंड ई)/2009-10/ दिल्ली मनोरंजन और बाजी कर अधिनियम, 1996 (1997 का दिल्ली अधिनियम संख्या 8) की धारा 7 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, जिसे दिल्ली मनोरंजन और बाजी कर (संशोधन) अधिनियम, 2009 (2010 का दिल्ली अधिनियम 2), के रूप में संशोधित किया गया है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उप-राज्यपाल, एतद द्वारा मनोरंजन कर की निम्नांकित दरें तत्काल प्रभाव से निर्दिष्ट करते हैं, अर्थात् :-

(क) डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाओं से मनोरंजन के लिए प्रवेश संबंधी सभी भुगतानों पर 20 रुपये प्रति कनेक्शन प्रति ग्राहक प्रतिमाह की दर से।

(ख) डायरेक्ट-टू-होम (डीटीएच) सेवाओं से होटलों में मनोरंजन के लिए प्रवेश संबंधी सभी भुगतानों पर 50 रुपये प्रति कमरा प्रतिमाह की दर से।

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम से।

(अजय कुमार गर्ग)
संयुक्त सचिव (वित्त/योजना)

एफ न. 10(16)/फिन. (टी एंड ई)/2009-10/जे एंड एल/63 दिनांक- 01-02-2010
प्रतिलिपि अग्रसारित :-

1. सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, रा.रा.राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नयी दिल्ली को एक अतिरिक्त प्रति के साथ ताकि उसे आज की तारीख में दिल्ली राजपत्र, भाग-IV (असाधारण) में प्रकाशित किया जा सके।
2. आयुक्त, मनोरंजन कर, विकास भवन, नयी दिल्ली।
3. सचिव, वित्त मंत्रालय, दिल्ली सचिवालय, आई पी एस्टेट, नयी दिल्ली।
4. संयुक्त सचिव (एल एंड जे), रा.रा.राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
5. गार्ड फाइल
6. वेब साईट

(अजय कुमार गर्ग)
संयुक्त सचिव (वित्त/योजना)